

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-307/2021-102 -
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-14.01.2022

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 66 पथों एवं 38 पुलों के निर्माण के लिये स्तम्भ-7 में अंकित लम्बाई (कि०मी०/मी०) एवं स्तम्भ-13 में निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर अलग-अलग योजनाओं के लिये जिनकी कुल राशि **रु० 306.6469 करोड़ रुपये (तीन अरब छः करोड़ चौंसठ लाख उनहत्तर हजार रुपये)** मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 15 जिलों यथा 15 जिलों यथा औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कैमूर(भभुआ), मधेपुरा, मुंगेर, नालन्दा, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण जिलों में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत स्वीकृत पथों एवं पुलों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-17024/4/2019-RC(Part) (FMS No 368978) दिनांक-31.03.2021 के द्वारा कुल 169 पथों जिनकी लम्बाई 1390.308 कि०मी० तथा प्राक्कलित राशि **रु० 1140.99 करोड़ एवं 39 पुलों जिनकी लम्बाई 998.68 मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 56.29 करोड़ पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रु० 1197.28 करोड़ जिसमें राज्यांश की राशि रु० 556.34 करोड़ है**

इनमें से 0-5.00 करोड़ की योजनाओं पर स्तम्भ-13 में अंकित राशि के निर्माण हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिये निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु क्रमशः राशि **रु० 281.3687 करोड़ रुपये तथा रु० 25.2782 करोड़ रुपये जिनकी कुल राशि रु० 306.6469 करोड़ रुपये (तीन अरब छः करोड़ चौंसठ लाख उनहत्तर हजार रुपये)** मात्र है, पर अंकित योजनाओं के लिए विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

6

13/1/2022

9	Purnia	Baisi	Amaur	BR27P 3R01	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 1+724 KM	20.10	65.64	43.76	0.00	109.40	1.99	111.39
10	Purnia	Baisi	Amaur	BR27P 3R02	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 5+450 KM	20.10	67.92	45.28	0.00	113.20	2.09	115.29
11	Purnia	Baisi	Amaur	BR27P 3R03	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 8+485 KM	26.30	76.28	50.85	0.00	127.13	2.48	129.61
12	Purnia	Baisi	Amaur	BR27P 3R04	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 9+020 KM	20.10	68.55	45.70	0.00	114.25	2.10	116.35
13	Purnia	Baisi	Amaur	BR27P 3R05	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6) CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 10+670 KM	26.30	73.01	48.67	0.00	121.68	1.46	123.14
14	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R07	MRL03-Mala To Sakerbaliya Construction of RCC Box Culvert at ch.1+370 km	26.30	81.72	54.48	0.00	136.20	2.46	138.66
15	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R08	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch. 2+025 km	20.10	64.89	43.26	0.00	108.15	1.92	110.07
16	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R09	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch 3+160 km	20.10	63.34	42.22	0.00	105.56	1.93	107.49
17	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R10	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch. 3+750	20.00	63.96	42.64	0.00	106.60	1.93	108.53
18	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R11	MRL03-Mala To Sakerbaliya Construction of RCC Bcx Culvert at ch. 2+225 km	26.30	82.61	55.08	0.00	137.69	1.39	139.08
19	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R12	MRL03-Mala To Sakerbaliya Construction of RCC HL Bridge at ch. 5+600	20.10	62.92	41.95	0.00	104.87	2.01	106.88
20	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R13	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction Of RCC Box Bridge at Ch 5+140	20.10	64.40	42.93	0.00	107.33	2.02	109.35
21	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R14	MRL03-Mala To Sakerbaliya CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 0+720KM	26.30	83.00	55.34	0.00	138.34	2.46	140.80
22	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R15	MRL03-Mala To Sakerbaliya CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 1+530 KM	26.30	82.46	54.97	0.00	137.43	2.46	139.89
23	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R16	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch 6+440	20.10	63.10	42.07	0.00	105.17	2.00	107.17
24	Purnia	Baisi	Baisi	BR27P 3R17	T04-NH 31 Fatki Chowk to Chahat Construction of RCC Box Bridge at Ch 13+550	26.30	73.42	48.94	0.00	122.36	2.49	124.85
25	Purnia	Purnea	Banmank hi	BR27P 3R20	MRL03-NH-107 Chapra Bazar to Rupauli via Rampur TilakCONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 7+880 KM	26.30	81.99	54.66	0.00	136.65	2.46	139.11

8
13/1/2022

इनमें से 0-5.00 करोड़ की कुल 66 पथों जिनकी लम्बाई 410.17 कि०मी० एवं 38 पुलों जिनकी लम्बाई 910.94 मी० जिसमें राज्यांश की राशि क्रमशः 114.4205 करोड़ रुपये की राशि होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रु० 25.2782 करोड़ रुपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। विभाग के लिए शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबंध से अनुरक्षण कार्य के लिए कर्णांकित राशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के वर्ष 2020-21 (Batch-I) के अन्तर्गत Programme fund से कार्यान्वित की जाने वाली इन योजनाओं के लिए अनुरक्षण हेतु निर्धारित अवधि 05 साल है।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा। इन योजनाओं में स्तम्भ-6 में योजनावार अंकित पथों पर पुलों का निर्माण किया जाना है।

4 योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5 यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

6 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

7 प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9 संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10 इस योजना के लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-307/2021 के पृ०-27/टि० पर दिनांक-13.1.2022 को प्राप्त है।

 6

 13/1/2022

11 यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.2005 वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005 वित्त विभाग पत्रांक एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017, के प्रावधानों एवं वित्त विभाग खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-BRDA(HQ)-PMGSY-307/2021 पु०-...../वि० पर दिनांक-14.11.2021 को प्राप्त है।

विश्वसमान

13/11/2021

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRDA(HQ)-PMGSY-307/2021 - 102. -

/पटना, दिनांक-14.11.2021

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित।

रु

13/11/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRDA(HQ)-PMGSY-307/2021 - 102. -

/पटना, दिनांक-14.11.2021

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सन्न विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा० का० वि० विहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रा० का० वि०/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्र०), ग्रा० का० वि०/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

रु

13/11/2021

विशेष सचिव